निबंधन संख्या-.....

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन), बिहार का चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)

स्थल : ..... दिनांक-.....

शिकायत का विहित प्रपत्र

1.	शिकायतकर्ता का नाम (दिव्यांगजन)	:	
2.	शिकायतकर्ता का पिता का नाम	:	
3.	शिकायतकर्ता का पूरा पता (दिव्यांगजन)	:	पिनकोड नम्बर
4.	शिकायतकर्ता का मोबाइल नम्बर	:	
5.	दिव्यांगता का प्रकार तथा प्रतिशत (%)	:	
6.	शिकायत से सम्बन्धित विभाग का नाम तथा पता	:	
7.	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	:	(1) (2)
8.	माँगी जा रही सुविधाओं का विवरण	:	(1) (2)
9.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की किस धारा/कार्यकारी आदेश का प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन किया गया है।		

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उक्त शिकायत से सम्बन्धित कोई मामला भारत क्षेत्र अन्तर्गत किसी अन्य प्राधिकार/अधिकरण/न्यायालय के विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक :-

(1) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
(2) आधारकार्ड की छायाप्रति।
(3) शिकायत के समर्थन में दस्तावेज।
(4) अन्य दस्तावेज।

शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर/
अँगूठे का निशान

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा नि:शक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है।

कार्यालय उपयोग के लिए

मोबाइल कोर्ट वाद संख्या-..... दिनांक-.....

आदेश

(1) **सिविल सर्जन** - दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने से सम्बन्धित

(2) **सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग** - दिव्यांगता पेंशन, उपकरण, पुनर्वास एवं दिव्यांगता प्रक्षेत्र में राज्य संचालित सभी योजनाओं का नोडल कार्यालय

(3) **जिला पुलिस अधीक्षक** - दिव्यांग पुरूष एवं महिला को प्रताड़ित करने से सम्बन्धित

(4) **जिला भूमि सुधार उपसमाहर्ता** - दिव्यांग पुरूष एवं महिला को भूमि से सम्बन्धित विवाद का

(5) **जिला बैंक के प्रबंधक/उपप्रबंधक** - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हेतु ऋण, स्वरोजगार हेतु ऋण से सम्बन्धित

(6) **उप विकास आयुक्त (DDC)** - इन्दिरा आवास से सम्बन्धित

(7) **जिला खेल-कूद पदाधिकारी** - दिव्यांग पुरूष एवं महिला को खेल-कूद से सम्बन्धित

(8) **जिला आपूर्ति पदाधिकारी** - दिव्यांग पुरूष एवं महिला को जनवितरण प्रणाली से सम्बन्धित

(9) **जिला परिवहन पदाधिकारी** - दिव्यांग पुरूष एवं महिला को ड्राइविंग लाइसेन्स से सम्बन्धित

(10) **जिला शिक्षा पदाधिकारी** - दिव्यांग पुरूष एवं महिला को छात्रवृति एवं नामांकन से सम्बन्धित

(11) **जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी** - दिव्यांग पुरूष एवं महिला का पहचान पत्र बनाने से सम्बन्धित

(12) **जिला कृषि पदाधिकारी** - दिव्यांग पुरूष एवं महिला को खाद्य, बीज आदि का वितरण से सम्बन्धित

(13) **बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम** - मुख्यमंत्री नि:शक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना (1.50 लाख तक ऋण) एवं शिक्षा ऋण योजना से सम्बन्धित

(14) **अन्य -**

(डॉ0 शिवाजी कुमार)
राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार सरकार
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015,
दूरभाष : 0612-2215041, मोबाईल : 9431015499,
E-mail-scdisability2008@gmail.com,
Website-scdisabilities.org

नोट :- अगर 15 से 20 दिनों के अन्दर किये गये आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो सम्बन्धित विभाग या कार्यालय में शिकायतकर्ता द्वारा अपील की जा सकती हैं। इसके साथ हीं दिव्यांगजन अधिकार अधिनिम, **2016** के अध्याय-16 की कंडिका-89 पर यह भी प्रावधान है कि "**कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, जुर्माने से दंडनीय होगा, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा और किसी पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पाँच लाख रूपये तक का हो सकेगा**" **तथा कंडिका-92 के अन्तर्गत दिव्यांगों से जुड़े अत्याचारों के अपराधी के लिए छ: माह से अन्यून व अधिकतम पाँच वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किये जाने का प्रावधान है।**